घरेलू हिंसा के मामलों में नारी अदालत की भूमिका: राजसमन्द जन विकास संस्थान के डेटा से मिली समझ

Cehat के क्षमता निर्माण सहयोग से

परिचय

घरेलू हिंसा महिलाओं के जीवन में बहुत ही गंभीर और व्यापक समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर तीन में से एक महिला ने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अपने साथी या परिचित पुरुष से शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया है । महिलाएँ अपने घर और रिश्तों में हिंसा का सामना करती हैं, लेकिन औपचारिक आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) तक पहुँच मुश्किल, और धीमी होने के कारण बहुत सी महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता। महिलाएँ पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कर पातीं, क्योंकि उन्हें पुलिस या न्यायालय में जाने से डर लगता है, उन्हें लगता है कि घर का मामला कहा जाएगा, या वे लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहतीं।

ऐसे में भारत में एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में नारी अदालत उभर कर सामने आई है, जहाँ महिलाएँ बिना भय, और अपने समुदाय के साथ न्याय के लिए आती हैं। नारी अदालत में महिलाएँ अपने मुद्दों को अपने समुदाय के सामने रख सकती हैं, समझौता कर सकती हैं, समाधान पा सकती हैं और अपने अधिकारों के बारे में जान सकती हैं।

नारी अदालत एक ऐसा मंच है जहाँ महिलाएं अपने घरेलू झगड़े, विवाद पति-पत्नी, संपत्ति से जुड़े मामले, भरण-पोषण, मारपीट या अन्य पारिवारिक समस्याएं लेकर आती हैं।

नारी अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे महिलाएं ही चलाती हैं। अलग-अलग जाति और समुदाय की महिलाएं मिलकर इस अदालत का संचालन करती हैं। यहां मामलों को बातचीत, समझाइश और आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की जाती है।

कई अध्ययनों के अनुसार नारी अदालतें ग्रामीण और हाशिये पर रह रही महिलाओं को सशक्त बनाती हैं। वे महिलाओं को कानूनी जानकारी देती हैं, परामर्श (काउंसलिंग) करती हैं और समुदाय स्तर पर समझौता और मध्यस्थता के जरिए मामलों का समाधान करती हैं। इन अदालतों में अधिकतर मामलों का समाधान हो जाता है और यहाँ बिना भेदभाव के और महिलाओं की स्थिति को समझते हुए फैसला करने की कोशिश की जाती है। नारी अदालत की खास बात यह है कि वह किसी भी मामले को देखते समय महिला की असली ज़िंदगी की स्थिति और उसके अनुभवों को ध्यान में रखती है। अगर हम परिवार और समाज में औरत-मर्द के रिश्तों में बराबरी लाना चाहते हैं, तो महिला की वास्तविक परिस्थितियों को समझना ज़रूरी है।

लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि नारी अदालत का काम करने का तरीका कई बार पुरानी और पक्षपात वाली सोच से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता।

इस फैक्ट शीट के माध्यम से हमने राजस्थान में नारी अदालत के काम को समझने की कोशिश की है। इसमें यह समझने की कोशिश की गई है कि नारी अदालत में आने वाली महिलाओं को किस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है और अदालत से उनकी क्या उम्मीदें होती हैं।

राजसमन्द जन विकास संस्थान (RJVS) एक सामाजिक संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई। यह संस्था महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के अधिकारों और विकास के लिए काम करती है। संस्था का मानना है कि जब महिलाएं संगठित होती हैं, तो वे अपने हक के लिए मजबूती से आवाज उठा सकती हैं। इसके मुख्य कार्यों में बाल विवाह रोकना, पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ना, हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करना, एकल महिलाओं को सहारा देना और महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ना शामिल है।

RJVS ने वर्ष 2010 में नारी अदालत की शुरुआत की। हर महीने तय तारीख पर बैठक होती है, जिसमें पीड़ित महिला, उसका परिवार और संबंधित पक्ष को बुलाया जाता है। दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी जाती है। फिर महिला समूह मिलकर ऐसा निर्णय लेने की कोशिश करता है जिससे महिला के अधिकार सुरक्षित रहें और न्याय मिल सके।

डाटा को समझने की प्रक्रिया

इस फैक्ट शीट में दी गई जानकारी नारी अदालत में आने वाले हर मामले के लिए भरे जाने वाले फॉर्म से ली गई है। इस जानकारी को एक्सेल शीट में डाला जाता है, ताकि उसे आसानी से समझा और देखा जा सके। सारी जानकारी को एक साथ जोड़कर समझा गया है। अगर किसी एक मामले का उदाहरण दिया गया है, तो उसमें से नाम और पहचान की जानकारी हटा दी गई है। इस विश्लेषण के लिए नारी अदालत का 10 साल का डेटा लिया गया है, जो साल 2016 से जून 2025 तक का है। हम कुल 368 घरेलू हिंसा के मामलों की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं।

मुख्य बातें

1. महिलाओं की उम्र

सबसे ज़्यादा महिलाएँ 23 से 27 साल (24.7%) की थीं। इसके बाद 43 वर्ष और उससे अधिक (19.6%), और 28 से 32 साल (17.9%) की महिलाएँ थीं। इससे पता चला कि अधिकतर युवा महिलाएँ नारी अदालत पहुँची थीं। 15 वर्ष से कम और 15 से 17 वर्ष की लड़कियों की संख्या बहुत कम थी।

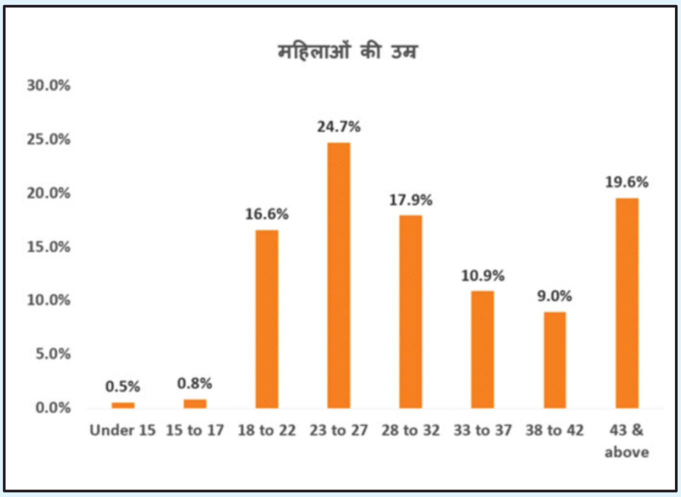

2. धर्म

लगभग सभी महिलाएँ हिंदू समुदाय से थीं (97.5%)। मुस्लिम महिलाएँ 2.17% थीं और अन्य 0.27% थीं।

3. जाति

सबसे ज़्यादा महिलाएँ ओबीसी वर्ग से थीं (37.7%)। इसके बाद जनरल (32.8%), एससी (20.1%), एसटी (5.7%) और अल्पसंख्यक वर्ग (3.5%) की महिलाएँ थीं। इससे पता चला कि अलग-अलग सामाजिक वर्गों की महिलाएँ नारी अदालत तक पहुँची थीं।

4. शिक्षा

एक चौथाई से अधिक महिलाएँ (28.26%) अशिक्षित थीं और 17.6% महिलाएँ केवल अपना नाम लिख और पढ़ सकती थीं। सेकेंडरी (8.9%), स्नातक (9.2%), हाई सेकेंडरी (4.6%) और पोस्ट ग्रेजुएशन (3.8%) करने वाली महिलाओं की संख्या कम थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को दर्शाता है।

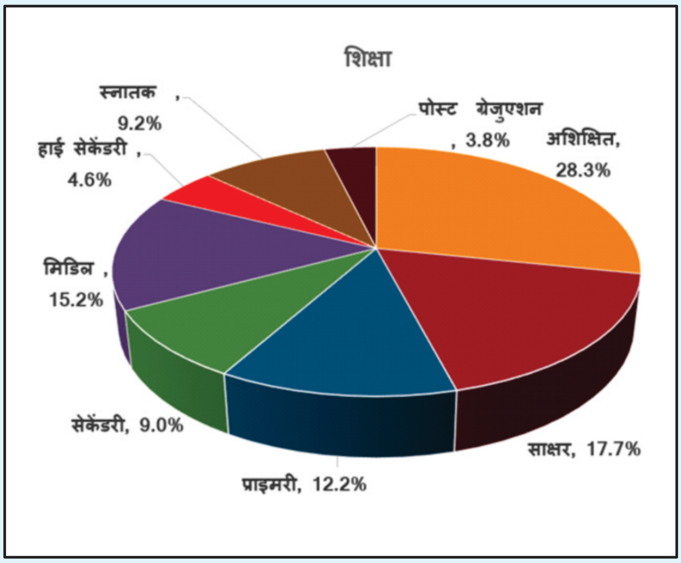

5. रोजगार

अधिकतर महिलाएँ आर्थिक रूप से निर्भर थीं, क्योंकि लगभग तीन चौथाई (75.2%) महिलाएँ गृहिणी थीं। मजदूरी करने वाली महिलाएँ 8.1% थीं और घरेलू काम करने वाली 6.2% थीं। सरकारी नौकरी और चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएँ केवल 0.54% थीं।

6. वैवाहिक स्थिति

लगभग 92.9% महिलाएँ विवाहित थीं। विधवा 4.1%, अविवाहित 2.5% और तलाकशुदा व छोड़ी गई महिलाएँ 0.3% थीं।

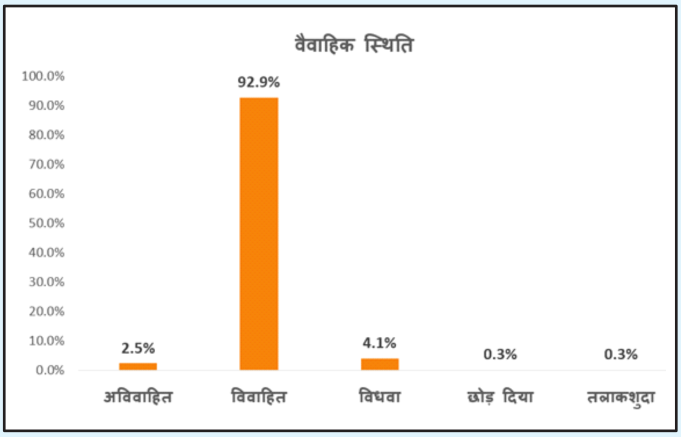

7. विवाह का प्रकार

एक चौथाई से अधिक विवाह (26.3%) बाल विवाह थे। लगभग 10.05% विवाह नाता प्रथा के थे और 1.63% आटा-साटा प्रथा# के थे। यानी लगभग 11-12% विवाह ऐसी पारंपरिक प्रथाओं के तहत हुए थे।

हमारे डेटा में बाल विवाह का प्रतिशत राष्ट्रीय आँकड़ों से ज़्यादा पाया गया। राजस्थान में सामाजिक मान्यताओं और लड़कियों की "सुरक्षा" के नाम पर आज भी उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। इस वजह से कई लड़कियों को पढ़ाई पूरी करने का मौका नहीं मिल पाता और वे आर्थिक व सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पातीं।

बाल विवाह और हिंसा के बीच भी संबंध देखा गया। कम उम्र में शादी होने से लड़कियाँ शारीरिक, मानसिक और वैवाहिक हिंसा के प्रति अधिक असुरक्षित हो जाती हैं।

आटा-साटा एक प्रथा है जिसमें दो परिवार आपस में बेटा-बेटी की अदला-बदली कर विवाह करते हैं। एक विवाह में समस्या होने पर दूसरे पर भी असर पड़ता है। नाता प्रथा में महिला का पुनर्विवाह सामाजिक समझौते से किया जाता है, जो कई बार कानूनी रुप से दर्ज नहीं होता।

आटा-साटा और नाता प्रथा में कई बार लड़की की इच्छा को महत्व नहीं दिया जाता, जिससे उसका जीवन दूसरों के फैसलों पर निर्भर हो जाता है।

इन प्रथाओं में लेन-देन और आपसी समझौते का दबाव होता है, जिससे महिला पर सहने और चुप रहने का दबाव बढ़ता है।

कई बार एक रिश्ते में विवाद होने पर दूसरे रिश्ते पर भी असर पड़ता है, जिससे महिलाओं पर मानसिक और शारीरिक हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। परिवार की इज़्ज़त और दूसरे रिश्तों के टूटने के डर से महिलाएँ कई बार हिंसा सहने के लिए मजबूर हो जाती हैं।

8. हिंसा करने वाला

55.7% मामलों में पति हिंसा करने वाला था और 32.3% मामलों में ससुराल वाले जिम्मेदार थे। 6.2% मामलों में महिला के अपने जन्म के परिवार द्वारा हिंसा की गई थी। इससे पता चला कि मायके की ओर से होने वाली हिंसा भी एक महत्वपूर्ण समस्या रही।

अविवाहित लड़कियों के मामलों में यह हिंसा मुख्य रूप से उनकी आवाजाही पर रोक, पढ़ाई के अधिकार को सीमित करने और अपनी पसंद से निर्णय लेने के अधिकार पर पाबंदी से जुड़ी थी। वहीं विवाहित महिलाओं के मामलों में मायके की ओर से हिंसा अक्सर संपत्ति में अपने अधिकार की मांग करने या उस अधिकार का उपयोग करने से जुड़ी पाई गई।

लगभग 5.4% मामलों में महिलाओं पर उनके अपने बच्चों द्वारा हिंसा की जा रही थी। इन मामलों में ज्यादातर वृद्ध महिलाएँ शामिल थीं, जिनके बच्चे उनकी देखभाल और खर्च उठाने से इनकार कर रहे थे।

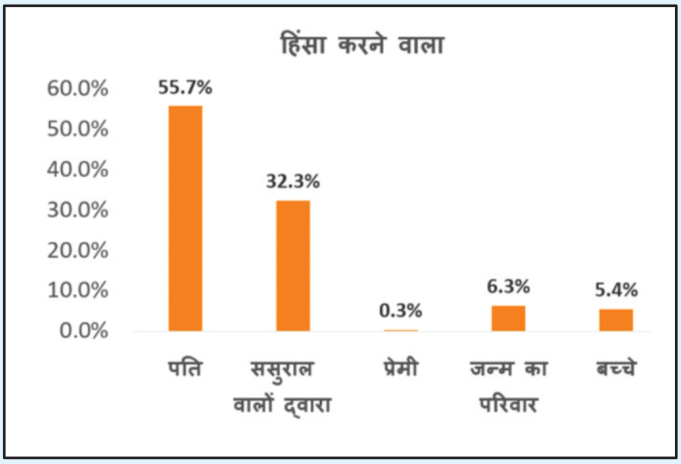

9. हिंसा की अवधि

72.8% महिलाएँ 1 से 3 साल से हिंसा झेल रही थीं। 16.0% महिलाएँ 4 से 6 साल से और 4.4% महिलाएँ 7 साल या उससे अधिक समय से हिंसा सह रही थीं। तीन चौथाई मामलों में महिलाएँ हिंसा शुरू होने के पहले तीन साल के अंदर नारी अदालत पहुँच गईं। इससे पता चलता है कि महिलाएँ नारी अदालत तक पहुँच पा रही हैं। नारी अदालतें अपने ही समुदाय में होती हैं और इन्हें महिलाएँ चलाती हैं। इसलिए न केवल पहुँच आसान है, बल्कि महिलाएँ अपने ही समुदाय की महिलाओं से बात करके मदद भी ले सकती हैं। इससे महिलाओं को अपनी परेशानी साझा करने में भरोसा और हिम्मत मिलती है।

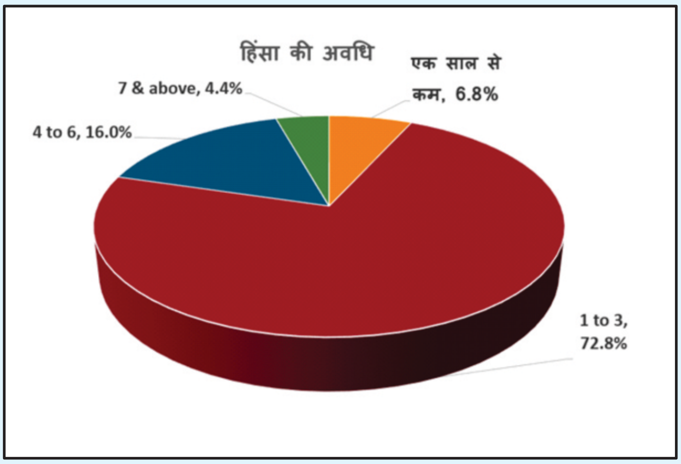

10. हिंसा का प्रकार

100% महिलाओं ने भावनात्मक हिंसा झेलने की बात कही। यह हिंसा ज़्यादातर गाली-गलौज, धमकी और ताने देने के रूप में सामने आई। इससे पता चलता है कि भावनात्मक हिंसा घरों में एक सामान्य और लगातार चलने वाली समस्या है, जिसे अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन इसका महिलाओं के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है।

करीब 86.7% महिलाओं ने शारीरिक हिंसा का अनुभव किया। यह प्रतिशत बहुत अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि कड़े कानून होने के बावजूद महिलाएँ आज भी शारीरिक हिंसा का सामना कर रही हैं। यह बताता है कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज में सोच और व्यवहार में भी बदलाव की ज़रूरत है।

लगभग आधी महिलाओं (49.5%) ने आर्थिक हिंसा झेलने की बात कही। इसमें खर्च के लिए पैसे न देना, कमाई पर नियंत्रण रखना या आर्थिक रूप से निर्भर बनाए रखना शामिल था। इससे महिलाओं की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है।

यौन हिंसा के मामले केवल 1.1% थे। यह संख्या बहुत कम दिखती है, लेकिन संभव है कि ऐसे मामले पूरी तरह सामने न आ पाए हों। शादी के संबंध में यौन हिंसा को लेकर समाज में झिझक और बदनामी का डर रहता है, इसलिए महिलाएँ इसके बारे में खुलकर बात करने से हिचकती हैं। इससे संकेत मिलता है कि इस विषय पर और जागरूकता और सुरक्षित बातचीत के माहौल की आवश्यकता है।

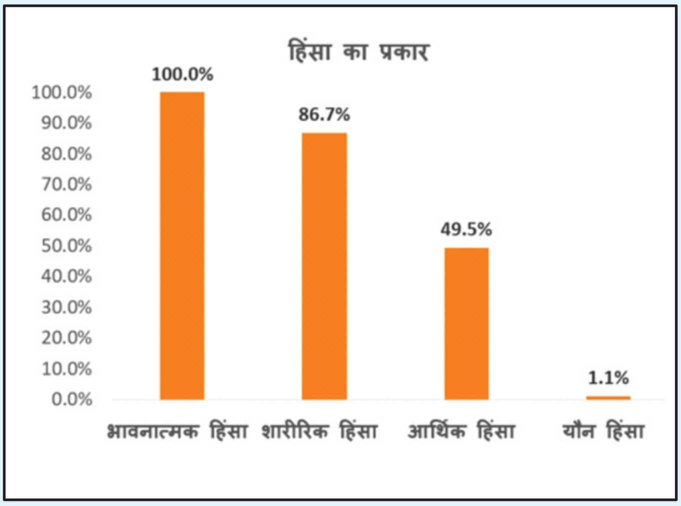

11. हिंसा की अवधि

शादी के प्रकार के अनुसार महिलाओं के नारी अदालत तक पहुँचने के समय में फर्क है। कोर्ट मैरिज या सामान्य रीति-रिवाज से शादी करने वाली 68.40% महिलाएँ 3 साल के अंदर नारी अदालत पहुँचीं, जबकि बाल विवाह (27.50%), आटा-साटा (33.3%) और नाता विवाह (38%) में कम महिलाएँ ही 3 साल के अंदर मदद लेने पहुँचीं।

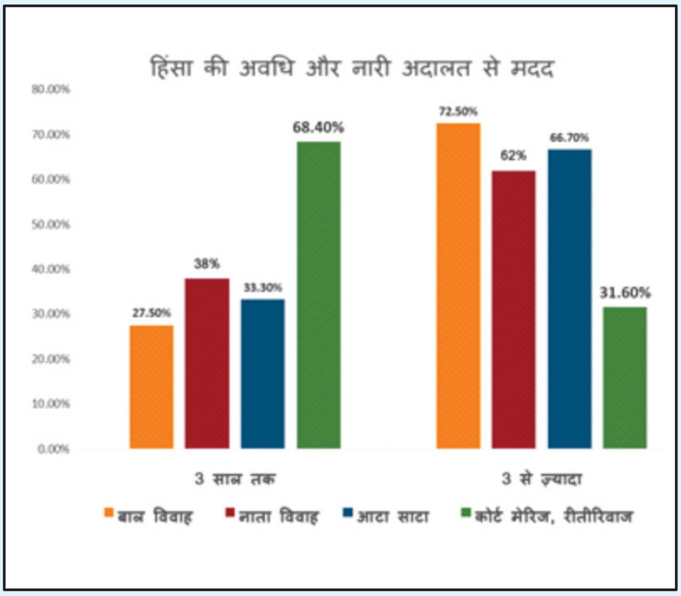

इसके उलट, बाल विवाह (72.5%), आटा-साटा (66.7%) और नाता विवाह (62%) में अधिकतर महिलाएँ 3 साल से ज़्यादा समय तक हिंसा सहने के बाद मदद लेने पहुँचीं, जबकि कोर्ट मैरिज में यह प्रतिशत कम (31.6%) है। इससे समझ में आता है कि कम उम्र या प्रथागत शादियों में परिवार और समाज का दबाव ज़्यादा होता है, इसलिए महिलाएँ देर से मदद लेती हैं। जबकि कोर्ट मैरिज या सामान्य शादी में महिलाएँ जल्दी नारी अदालत तक पहुँच पाती हैं।

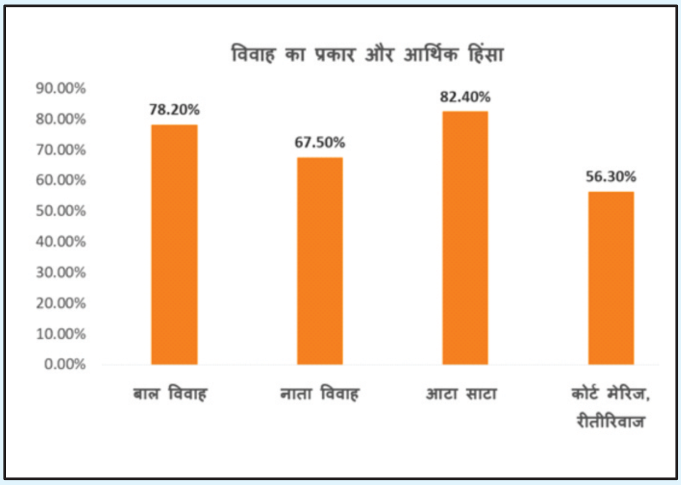

विवाह का प्रकार और आर्थिक हिंसा को देखा जाए तो इससे पता चलता है कि पारंपरिक और प्रथागत विवाहों में आर्थिक हिंसा के मामले अधिक हैं। आटा-साटा विवाह (82.4%) और बाल विवाह (78.2%) में सबसे ज़्यादा महिलाएँ आर्थिक हिंसा का सामना कर रही हैं। नाता विवाह में भी यह प्रतिशत काफ़ी अधिक (67.5%) है। इसके मुकाबले कोर्ट मैरिज या सामान्य रीति-रिवाज से शादी करने वाली महिलाओं में आर्थिक हिंसा कम (56.3इ) है।

इससे समझ में आता है कि जिन विवाहों में महिला की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, वहाँ आर्थिक नियंत्रण और निर्भरता ज़्यादा देखी जाती है।

12. पुलिस में शिकायत

89.4% महिलाओं ने नारी अदालत आने से पहले पुलिस में शिकायत नहीं की थी। केवल 10.6% ने शिकायत दर्ज कराई थी। 19 मामलों में महिलाओं ने शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इसे निजी मामला कहकर शिकायत दर्ज नहीं की थी। इससे पता चला कि पुलिस तक पहुँचना महिलाओं के लिए आसान नहीं रहा।

इससे पता चलता है कि महिलाओं के लिए पुलिस तक पहुँचना आसान नहीं है। कई बार महिलाएँ डर, झिझक या बदनामी के कारण थाने नहीं जातीं। परिवार और समाज का दबाव भी उन्हें शिकायत करने से रोकता है। दूसरी ओर, जब महिलाएँ हिम्मत करके पुलिस के पास जाती भी हैं, तो कई बार उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता या मामले को घरेलू कहकर टाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में नारी अदालत महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आती है।

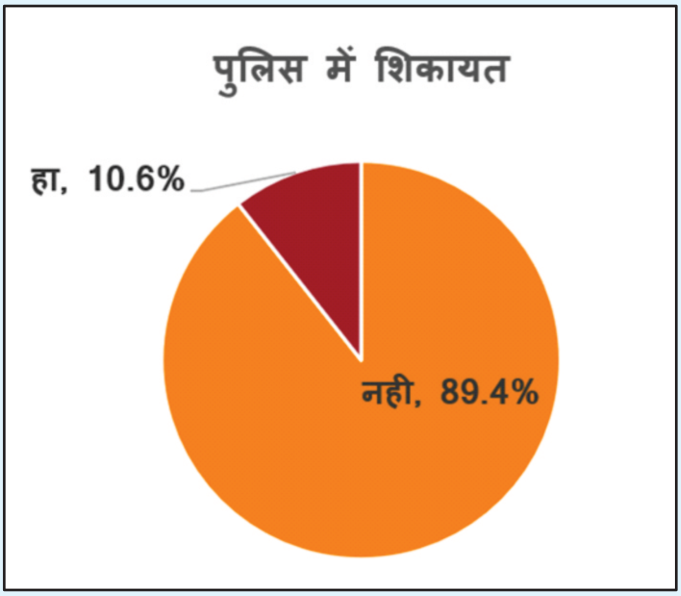

13. महिलाओं की उम्मीदें

31.3% महिलाएँ चाहती थीं कि हिंसा बंद हो और 25.5% महिलाएँ पति के साथ ही रहना चाहती थीं। केवल 8.7% महिलाएँ तलाक चाहती थीं और 4.6% महिलाएँ आरोपी को सजा दिलाने की मांग कर रही थीं।

इन आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकतर महिलाएँ परिवार तोड़ने के इरादे से नहीं, बल्कि हिंसा रुकवाने और सम्मान के साथ जीने की उम्मीद लेकर नारी अदालत आई थीं। उनकी प्राथमिकता घर बचाना और सुरक्षित माहौल में रहना है, न कि कानूनी कार्रवाई के जरिए रिश्ते समाप्त करना था।

अक्सर यह कहा जाता है कि महिलाएँ कानून का दुरुपयोग करती हैं, लेकिन ये आँकड़े इस धारणा को गलत साबित करते हैं। यदि महिलाएँ सच में कानून का गलत इस्तेमाल करना चाहतीं, तो तलाक या सजा की मांग करने वाली महिलाओं की संख्या अधिक होती। इसके विपरीत, अधिकांश महिलाएँ केवल इतना चाहती हैं कि उनके साथ हिंसा न हो और वे अपने ही घर में सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सकें।

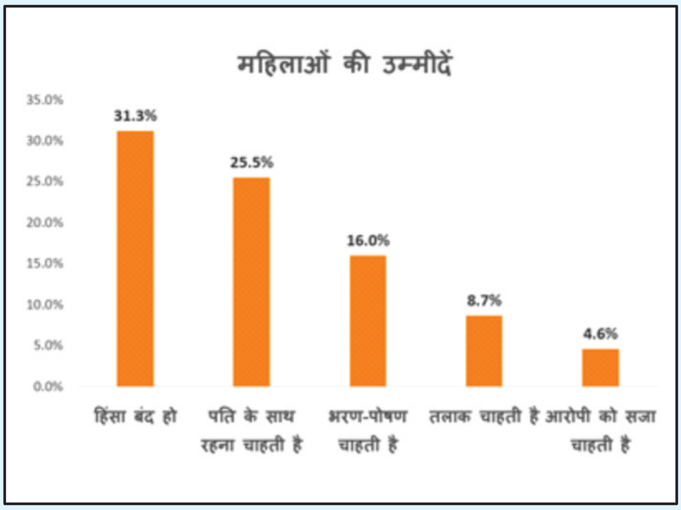

केस स्टडी: नारी अदालत से मिला सहारा

आमेट की एक महिला, जिन्हें यहाँ "दशिनी" नाम से बताया गया है, ने 20 जून 2025 को नारी अदालत में शिकायत की। वे अपने ससुराल में लगातार घरेलू हिंसा और मानसिक परेशानी झेल रही थीं। पिछले 2-3 महीनों से वे दुखी होकर अपने मायके में रह रही थीं।

उन्होंने बताया कि उन्हें छोटी-छोटी बातों पर ताने दिए जाते थे, जैसे पहले खाना खाने का आरोप, ठीक से खाना न बनाने की बात, या परिवार के साथ न खाने पर झगड़ा। उन्हें अपनी माँ से बात करने से भी रोका जाता था। जब वे मायके जाती थीं, तो उनका बच्चा उनसे जबरन ले लिया जाता था। वापस आने पर उन पर बच्चे को छोड़ देने का आरोप लगाया जाता था। जब भी वे आवाज उठातीं, तो उन्हें तलाक और बच्चे की कस्टडी छीनने की धमकी दी जाती थी।

2 जुलाई 2025 को नारी अदालत में सुनवाई हुई। सदस्यों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। तीन बार काउंसलिंग की गई, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया गया और खुलकर बात करने का मौका दिया गया। इस बात को पक्का करने के लिए पति से लिखित रूप में हस्ताक्षर भी लिए गए। साथ ही, महिला समुदाय की सदस्याएँ अगले 2 से 3 महीनों तक समय-समय पर दशिनी के घर जाकर उनका हाल-चाल पूछती रहीं और स्थिति पर नज़र रखती रहीं, ताकि दोबारा किसी तरह की हिंसा न हो।

लगातार बातचीत और समझाइश के बाद मामला सुलझ गया। दशिनी अपने पति और बच्चे के साथ ससुराल लौट गईं। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि आगे उनके साथ हिंसा नहीं होगी और उन्हें सम्मान से रखा जाएगा।

निष्कर्ष

इस फैक्ट शीट से यह साफ़ पता चलता है कि घरेलू हिंसा आज भी महिलाओं के जीवन की एक गंभीर समस्या है। अधिकतर महिलाएँ युवा, विवाहित और आर्थिक रूप से निर्भर थीं। बड़ी संख्या में महिलाएँ अशिक्षित या कम पढ़ी-लिखी थीं, जिससे उनके लिए अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना और भी कठिन हो जाता है।

डेटा यह भी दिखाता है कि हिंसा केवल पति और ससुराल वालों तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई मामलों में महिलाओं के अपने जन्म परिवार द्वारा भी हिंसा की गई। इससे स्पष्ट होता है कि महिला के लिए हिंसा का खतरा केवल ससुराल ही नहीं, बल्कि मायके में भी मौजूद हो सकता है।

आर्थिक हिंसा भी बड़ी समस्या के रूप में सामने आई, खासकर बाल विवाह, आटा-साटा और नाता जैसी पारंपरिक शादियों में। इससे पता चलता है कि सामाजिक प्रथाएँ और असमान रिश्ते महिलाओं की स्थिति को और कमजोर बनाते हैं। अधिकतर महिलाओं ने पुलिस में शिकायत नहीं की थी, जिससे यह समझ आता है कि औपचारिक न्याय व्यवस्था तक पहुँचना उनके लिए आसान नहीं है। ऐसे में नारी अदालत एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद मंच के रूप में सामने आती है, जहाँ महिलाएँ बिना डर अपनी बात रख सकती हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकतर महिलाएँ घर तोड़ना नहीं चाहतीं, बल्कि वे हिंसा रुकवाना और सम्मान के साथ जीना चाहती हैं। इससे यह भी समझ में आता है कि नारी अदालत परिवार और लैंगिक न्याय को ऐसे सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में देखती है, जहाँ न्याय का मतलब हमेशा परिवार से अलग हो जाना नहीं होता। बल्कि इसका मतलब परिवार के अंदर रिश्तों में सुधार और बराबरी लाना होता है। नारी अदालत की खास बात यह है कि वह महिला की असली जीवन स्थिति और उसके अनुभवों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की कोशिश करती है। कुल मिलाकर, नारी अदालत महिलाओं को सहारा, समझ और न्याय देने का एक प्रभावी सामुदायिक माध्यम है। साथ ही, यह भी जरूरी है कि समाज में जागरूकता बढ़े, लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए और पुरानी हानिकारक प्रथाओं को बदला जाए, ताकि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके।